



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com



दिनांक - 18.01.2023

दिनांक - 18.01.2023

दिनांक - 16.01.2023

पात्रता चयन हेतु आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, सुल्तानपुर एवं ओबरी योजना, बाराबंकी में स्व-वित्त पोषित भवनों हेतु दिनांक 15.08.2022 से 15.10.2022 तक पंजीकरण खोला गया था एवं परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के सेक्टर-2 व सेक्टर-3 में भूखण्डों हेतु दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 14.06.2021 तक पंजीकरण खोला गया था। जिसका पात्रता चयन शासनादेश/परिषद के विनियमों के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है।

योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भवन/भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	समय व तिथि	पात्रता स्थल का नाम
ओबरी योजना बाराबंकी	स्व-वित्त पोषित अल्प आय वर्ग (37 / 60) प्रकार के फिनिश भवन	42 नग	60.59	प्रातः 11.30 बजे 13.02.2023	साईट ऑफिस एल.आई.सी. बिल्डिंग के सामने, ओबरी योजना, बाराबंकी
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, सुल्तानपुर	स्व-वित्त पोषित मध्यम आय वर्ग (80 / 122) प्रकार के सेमीफिनिश भवन	27 नग	121.89	प्रातः 11.00 बजे 30.01.2023	संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लोहरामऊ मार्ग, भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना राहुल तिराहा के पास, सुल्तानपुर
	स्व-वित्त पोषित अल्प आय वर्ग (29 / 60) प्रकार के फिनिश भवन	21 नग	60.59		
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, सेक्टर-2 व 3 मेरठ	भूखण्ड	101 नग (से.-3)	127.50	प्रातः 11.00 बजे 03.02.2023	वसुन्धरा योजना के सेक्टर-16 स्थित सैन्ट्रल मार्केट के प्रथम तल हॉल
		20 नग (से.-3)	200.00		
		130 नग (से.-2)	200.00	प्रातः 11.00 बजे 04.02.2023	
		18 नग (से.-3)	136.00		
		12 नग (से.-3)	264.50		
		26 नग (से.-3)	300.00		

नोट: 1- उपरोक्त निर्धारित तिथि पर आवेदक लाटरी ड्रा स्थल पर समयानुसार पंजीकरण की प्रति मूल रूप में एवं व्यक्तिगत पहचान-पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। 2- कोविड के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। 3- पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-5 के बिन्दु 1 के अनुसार एकमुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एकमुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात् भूखण्ड अवशेष रहते हैं तो किश्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक ड्रा से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि वैध आवेदकों की सूची आवंटन तिथि से एक दिन पूर्व परिषद कार्यालय परिसर में चर्या कर दी जायेगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो आवंटन दिनांक से एक दिन पूर्व ही अपनी आपत्ति का निराकरण परिषद नियमानुसार करा सकते हैं। 4-वैध/अवैध आवेदकों की संख्या घट-बढ़ सकती है। 5- पात्रता ड्रा का परिणाम परिषद की वेबसाईट www.upavp.in / PUBLIC NOTICE पर उपलब्ध होगा।

आवास आयुक्त